<u>समाचार</u>

20 अक्टूबर तक प्रमाण पत्र जमा कराएं निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी

कोरबा 30 सितम्बर 2025 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों, पेंशनरों से कहा गया है कि वे जीवित प्रमाण पत्र तीन–तीन प्रतियों में 20 अक्टूबर 2025 तक नगर निगम कार्यालय कोरबा के साकेत भवन स्थित स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से जमा कराएं ताकि उनके मासिक पेंशन भुगतान में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न हो। निगम के उपायुक्त व स्थापना प्रभारी श्री पवन वर्मा ने उक्ताशय की सूचना जारी कर आगे कहा है कि निर्धारित तिथि तक जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर मासिक पेंशन भुगतान अवरूद्ध होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों, पेंशनरों की स्वयं की होगी, अतः उक्त अवधि तक प्रमाण पत्र अवश्य जमा करा देवें।